न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
6/2019	11.2.2019	18/6/2025

कौशल्या पत्नि बाबूलाल, रैगर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी——प्रार्थिया

बनाम

1. सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी जल योजना, गंगापुर सिटी
2. सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी जल योजना, गंगापुर सिटी
3. अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर
5. मुख्य अभियंता(मुख्यालय), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
7. राजस्थान राज्य जरिए जिलाकलक्टर, सवाईमाधोपुर
8. देवेन्द्र विश्नोई ठेकेदार, जोधपुर हाल कैम्प गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 494 रकबा 0.10 है0 ग्राम मिर्जापुर प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्रार्थिया काबिज है और उसका उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है जिससे अप्रार्थीगण व अन्य किसी व्यक्ति का सरोकार या वास्ता नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि आबादी के समीप है तथा कीमती होने से लोगों की नियत खराब है तथा इसी बात का फायदा उठाकर आये दिन लोग उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। दिनांक 3.2.2019 को प्रार्थिया अपनी भूमि की स[illegible]ल कर रही थी तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हम इस भूमि पर निर्माण कर[illegible] भूमि खाली करो। प्रार्थिया के यह कहने पर भी नहीं माने कि भूमि प्रार्थि[illegible] की खातेदारी की है। अप्रार्थीगण अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रार्थिया की [illegible]मि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा भूमि ख0नं0 494 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

0.10 है0 ग्राम मिर्जापुर में प्रार्थिया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें न किसी दीगर से करावें तथा उक्त भूमि की बाउण्ड्री को भी अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ख0नं0 494 से प्रार्थिया का कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि उक्त भूमि में सरकारी स्कूल का मैदान करीब 40 वर्ष से अधिक साल से बना हुआ है जिसकी राज्य सरकार की लागत से काफी पुरानी बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। प्रार्थिया का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। बिना कब्जे के दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसी भूमि के सम्बन्ध में एक अन्य वाद सुरेश वगैरा बनाम तहसीलदार गंगापुर सिटी के नाम से मु0नं0 18/09 दायर किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 31.1.2019 को अदालत हाजा द्वारा ही किया जा चुका है। उक्त दावे में भी ख0नं0 494 के बारे में इस्तदुआ चाही गई थी। उक्त दावे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर को पक्षकार बनाया गया था लेकिन प्रार्थिया द्वारा इस मामले में जानबूझकर कब्जेधारी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को पक्षकार नहीं बनाया है। मु0नं0 18/09 निर्णय दिनांक 3.1.2019 में प्रार्थिया कौशल्या पक्षकार नहीं थी तथा उस दावे के साथ जो वंश वृक्षावली प्रस्तुत की गई थी उसमें भी प्रार्थिया कौशल्या का नाम कहीं भी अंकित नहीं है। उक्त दावे में भी स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई थी जो अदालत हाजा द्वारा दिनांक 31.1.2019 को ख0नं0 494 के सम्बन्ध में भी जारी कर दी गई है जो अभी तक अपीलेट कोर्ट से भी निरस्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह दावा धारा 11 सी0पी.सी0 रेसज्यूडीकेटा से बाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यदि प्रार्थिया अपने आपको उक्त भूमि की खातेदार भी घोषित कर दे तो भी प्रार्थिया का यह दावा बिना कब्जे के चलने योग्य नहीं है। प्रार्थिया को प्रतिवादीग[illegible] विरुद्ध धारा 183 की कार्यवाही करनी चाहिए थी तथा 183 की कार्यवाही [illegible] 12 साल भी काफी समय पूर्व खत्म हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि पर [illegible] साल से भी अधिक पुराना स्कूल का फील्ड बना हुआ है तथा राज्य सरकार की आय से स्कूल द्वारा पहले से ही बाउण्ड्री वाल बना रखी है। विवादित भूमि पर प्रार्थिया ने अपना कब्जा होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:58:10 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)
सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

के सम्बन्ध में मात्र जमाबंदी के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। दिनांक 2.10.2018 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर के प्रांगण में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अमृत योजना के अन्तर्गत पानी की एक टंकी के लिए 9 बाई 9 वर्गमीटर की भूमि की आवश्यकता थी इसलिए विद्यालय द्वारा सर्वसम्मति से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिका विभाग को 9 बाई 9 वर्गमीटर की भूमि उपलब्ध कराई गई जिसके अन्तर्गत ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। प्रार्थिया का प्राईमाफेसी केस किसी तरह साबित नहीं है, सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र टी0आई0 प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 56 ग्राम मिर्जापुर प्रस्तुत की है।

अप्रार्थीगण की ओर से जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्धान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थिया की भूमि में अप्रार्थीगण जबरन कब्जा कर पानी की टंकी का निर्माण करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का विगत 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा ही नहीं है क्योंकि यह भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर की स्कूल फील्ड के रूप में काम आ रही है। अमृत योजना के तहत अप्रार्थीगण को पानी की टंकी के निर्माण हेतु विद्यालय की ओर से 9 बाई 9 की भूमि उपलब्ध कराई गई थी जिस पर पानी की टंकी का निर्माण किया जाना था परन्तु वर्तमान में यह पानी की टंकी अन्यत्र स्थान पर निर्मित की जा चुकी है इसलिए अब वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रहा है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया [illegible]

बहस पर मनन [illegible] का अवलोकन किया। प्रार्थिया की ओर प्रस्तुत राज[illegible] जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 56 ग्राम मिर्जापुर के अनुसार [illegible]मान खसरा नम्बर 194 रकवा 0.10 है0 भूमि की खातेदारी प्रार्थिया के नाम दर्ज है। प्रकरण में मुख्य विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

इस बात को लेकर है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं होना बताकर एवं वादग्रस्त भूमि में 9 बाई 9 की भूमि पानी की टंकी का निर्माण करने हेतु विद्यालय की ओर से अप्रार्थीगण को उपलब्ध करना बताकर भूमि में पानी की टंकी का निर्माण करना चाह रहे हैं जबकि भूमि खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थिया इसका विरोध कर रही है । इस सम्बन्ध में बहस के दौरान अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने पानी की टंकी अन्यत्र स्थान पर निर्मित हो जाने का तथ्य भी प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में जब पानी की टंकी का अन्यत्र स्थान पर निर्माण हो चुका है तो विवाद का बिन्दु ही शेष नहीं रहता है फलस्वरूप अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:58:10 IST
Reason: SelfAttested